Entry   Ent-Y OK ✓

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0– 199 /2016–17

वाद का प्रकार – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

23/7/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.06.2016 सहपठित श्री अनुप मुखर्जी निदेशक भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3–रा0भू0नीति–119/85/2306/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा बरदह थाना नं0 182 खा.प.– 142 खाता सं0 62 प्लाट सं0 — रकबा 1.02 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी–II में जमाबंदी रैयत चिंतामन प्रसाद महतो, सा0 बरदह के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/खाटा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माँग करें तथा उनसे [illegible] पूछा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 23/7/16 को उपस्थापित करें।

नोटिस तामिला हेतु प्यादा

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

23/7/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर।

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत के वंशज न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उपरोक्त भूमि के संबंधित दलील तथा अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये, परन्तु उनके द्वारा किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति। सत्यापित प्रति जमा नहीं किया है, जिससे विषय प्रमाणित हो सके कि यह जमाबन्दी वैध (VALID) है।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

09/8/16
अंचल अधिकारी
बलियापुर

वाद अभिलेख संख्या 106 / 2016 [illegible]

सूचना

बनाम

धनंजय प्रसाद [illegible]

[illegible] 182

खाता नं० 62 खेसरा नं० — रकबा 1.02 [illegible]

[illegible]

[illegible] 9/8/16 [illegible]

[illegible]

दिनांक— मुहर

स्थान—

[illegible] 2/8/16

Dhananjay Rathore

5/8/2016

नोटिस तामिल किया [illegible]

06/8/16